बिहार सरकार
वाणिज्य–कर विभाग
–:अधिसूचना:–

संचिका संख्या :–6/वि0पत्रा0–24–23/2023 पटना, दिनांक–

श्रीमती श्वेता सिंह, राज्य–कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), कदमकुआँ अंचल, पटना को उनकी प्रथम संतान के लिए बिहार सेवा (द्वितीय संशोधन) संहिता, 2014 के नियम–220 एवं वित विभाग के संकल्प संख्या–2498, दिनांक–12.04.2007 के अन्तर्गत दिनांक–01.07.2025 से 27.12.2025 तक कुल 180 (एक सौ अस्सी) दिनों का मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(ज्योति प्रकाश)
सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य–कर विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–6/वि0पत्रा0–24–23/2023 2623 पटना, दिनांक– 26/06/25

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी,वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, समाहरणालय कोषागार, पटना/राज्य–कर अपर आयुक्त (प्रशासन), पटना पूर्वी प्रमण्डल, पटना/राज्य–कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), कदमकुआँ अंचल, पटना /राज्य–कर संयुक्त आयुक्त–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य–कर उपायुक्त–सह–नोडल पदाधिकारी, एच0 आर0 एम0 एस0, वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्रीमती श्वेता सिंह, राज्य–कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), कदमकुआँ अंचल, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

24/06/2025

सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य–कर विभाग,
बिहार, पटना।